GCMS No. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
04/08/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। वाद हेतु अवसर पाकर अंतिम निस्तारण प्राप्त किया जाता है। पत्रावली दिनांक 17/09/25 को पेश हो।
17/09/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते अंतिम बहस अग्रिम दिनांक 10/11/25 को पेश हो।
10/11/25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संबंध में रत्न लाल प्र० नं० 8/19 आदम दल्लारी अवैध पैदावार में जब्ति के पश्चात् निर्णय इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है अतः रत्न लाल जब्ति से जारी है अब इस प्रकरण में आगे कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के साथ रत्न लाल के पक्ष में संलग्न हो।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा जिला-भीलवाड़ा (राज.)